जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर **दिनांक – 13.06.2024**

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 420/2023 धारा 363/376(3) भादवि व धारा 3/4(2) पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 14.10.2023 को वादी ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 12.10.2023 को अभियुक्त रिषभ वादी की पुत्री को बहला – फुसलाकर अपने साथ ले गया है । तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 420/2023 धारा 363 भादवि बनाम रिषभ उपरोक्त पंजीकृत किया गया । स्थानीय पुलिस द्वारा दिनांक 10.06.2024 को उपरोक्त अभियोग से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 376(3) भादवि व धारा 3/4(2) पॉक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.06.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रिषभ पुत्र उमेश मिश्रा निवासी ग्राम गदमापुर थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

रिषभ पुत्र उमेश मिश्रा निवासी ग्राम गदमापुर थाना मोहम्मदी जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री सुशील पंवार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

2.हे0कां0 593 ब्रजकिशोर शर्मा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नूरपुर   दिनांक- 13.06.2024

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 206/24 धारा 307/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 25.05.2024 को वादी श्री देवेन्द्र पुत्र खुब्बन सिंह निवासी ग्राम पीपला जागीर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1- मुकुल 2- राकेश 3- मोहित 4-रोहित पुत्रगण मुकेश निवासीगण ग्राम पीपला जागीर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने वादी व वादी के परिवार के साथ गाली गलौच कर मारपीट की गयी, जिसमें वादी की बेटी गंभीर रुप से घायल हो गई । इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 206/24 धारा 308/323/504/506 भादवि बनाम मुकुल आदि 04 नफर उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही में धारा 308 भादवि का लोप कर धारा 307 भादवि की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नूरपुर पुलिस द्वारा पर मु0अ0सं0 206/24 धारा 307/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्तगण 1- मुकुल 2- राकेश 3- मोहित 4-रोहित पुत्रगण मुकेश निवासीगण ग्राम पीपला जागीर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1- मुकुल पुत्र मुकेश निवासी ग्राम पीपला जागीर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2- राकेश पुत्र मुकेश निवासी ग्राम पीपला जागीर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
3- मोहित पुत्र मुकेश निवासी ग्राम पीपला जागीर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
4- रोहित पुत्र मुकेश निवासी ग्राम पीपला जागीर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 देवी प्रसाद गौतम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2- मुख्य आरक्षी प्रमोद कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
3- आरक्षी राहुल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर **दिनांक –13.06.2024**

थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 285/24 धारा 307/452/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त लोहे के पाइप सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 12.06.2024 को वादी श्री रवि मेहरा पुत्र श्री सतीश मेहरा निवासी मौ0 महाजनान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त गिरीराज पुत्र दयाराम निवासी मौ0 चौहानान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा दुकान में घुसकर वादी के चाचा मुरली मेहरा के साथ गाली–गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से मारपीट की गयी तथा सिर में लोहे का पाइप मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया। तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 285/24 धारा 307/452/504/506 भादवि बनाम गिरीराज उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरीराज पुत्र दयाराम निवासी मौ0 चौहानान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे का पाइप बरामद किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

गिरीराज पुत्र दयाराम निवासी मौ0 चौहानान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त लोहे का पाइप।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

2-मुख्य आरक्षी शाने आलम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना कोतवाली शहर **दिनांक 13-06-2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अपने साथ अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.06.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त जयवंश पुत्र दयाराम निवासी ग्राम धरमपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 508/2024 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम जयवंश उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

जयवंश पुत्र दयाराम निवासी ग्राम धरमपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरणः-

01 अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 संजीव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2. आरक्षी 2605 निर्मल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नजीबाबाद **दिनांक-13.06.2024**

थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 311/2024 धारा 354ए/354बी/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 12.06.2024 को वादिनी द्वारा थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त ताहिर पुत्र अब्दुल हमीद निवासी मौहल्ला मुगलूशाह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ अश्लील हरकत की गयी तथा गलत कार्य करने का प्रयास किया गया। तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 311/2024 धारा 354ए/354बी/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.06.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 311/2024 धारा 354ए/354बी/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त ताहिर पुत्र अब्दुल हमीद निवासी मौहल्ला मुगलूशाह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

ताहिर पुत्र अब्दुल हमीद निवासी मौहल्ला मुगलूशाह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 भारत सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 71 अवधेश शर्मा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
3. का0 2056 अरुण कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 13.06.2024**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 555/23 धारा 420/384/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 11.08.2023 को वादी श्री शराफत अली पुत्र इब्राहिम निवासी ग्राम सैदपुरा उर्फ नाईपुरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.रेकपाल पुत्र रामस्वरूप 2.विमलादेवी पत्नी हरपाल सिंह 3.शौकीन पुत्र सईद निवासीगण ग्राम धींवरपुरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर 4.मिथलेश देवी पत्नी रोहताश सिंह 5.कैलाश पुत्र लल्लू निवासीगण मौ0 बनियोंवाला कस्बा बास्टा थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी से रूपये हडपने के उद्देश्य से धौखाधडी से फर्जी बैनामा करा लिया एवं गाली – गलौच करते हुए धमकी दी कि या तो दस लाख रूपये दे दो वरना हम जमीन पर कब्जा करे लेंगे। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 555/23 धारा 420/384/504/506 भादवि बनाम रेकपाल आदि उपरोक्त कुल 05 नफर पंजीकृत किया गया । अभियुक्ता विमला देवी उपरोक्त द्वारा दिनांक 04.06.2024 को मा0 न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया जा चुका है।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.06.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त 1.रेकपाल पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम धींवरपुरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रेकपाल पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम धींवरपुरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री जुगेन्द्र तेवतिया थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2.कां0 668 राजकुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 13.06.2024**

थाना चांदपुर क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला शाहचन्दन से सम्बंधित वायरल वीडियो के सम्बंध में।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 13.06.2024 को सोशल मीडिया (ट्वीटर) X पर akash bharati @BharatiAka52325 के द्वारा एक वीडियो अपलोड किया गया। उक्त प्रकरण के सम्बंध में अवगत कराना है कि दिनांक 08.06.2024 को आवेदक श्री प्रेम पुजारी पुत्र ओमप्रकाश निवासी मौ0 शाहचन्दन कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना चाँदपुर पर तहरीर दी गयी कि उनकी निजी भूमि पर विशेष समाज के लोगों द्वारा बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापित कर ली है। स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर जाकर जाँच की गयी तो पाया कि आवेदक व वाल्मिकी समाज के लोगों की मौहल्ला शाहचन्दन में खाली पड़ी भूमि पर कुछ समय पहले ही विशेष समाज के लोगो ने बिना किसी अनुमति के बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को स्थापित कर लिया था। स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर विशेष समाज की महिलायें व बच्चियां को समझाने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस द्वारा किसी भी महिला अथवा बच्ची के साथ कोई अमर्यादित व्यवहार नहीं किया है और न ही बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को हटवाया गया है। शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। आकाश भारती के नाम से सोशल मीडिया अकाउन्ट X (ट्वीटर) पर जानबूझकर जातिगत भावनायें भडकाने एवं समाज में विद्वेष फैलाने के उद्देश्य से गलत तरीके से वीडियो पोस्ट किया गया है। ट्वीटकर्ता akash bharati @BharatiAka52325 के विरुद्ध थाना चाँदपुर पर मु0अ0सं0 294/2024 धारा 153A/505(2)/504 भादवि व 66 सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जा जा रही है।

बिजनौर पुलिस सभी जनपदवासियों से अपील करती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई भी पोस्ट साझा न करे, जिससे किसी वर्ग, समुदाय एवं जाति विशेष की भावनायें आहत होती हो और न ही कोई ऐसी टिप्पणी करें जिससे समाज में अशांति फैलती हो।

सोशल मीडिया पर भ्रामक, उत्तेजक अथवा धार्मिक / सामाजिक / जातिगत भावनायें आहत करने सम्बंधी पोस्ट करने वालों के विरूद्ध बिजनौर पुलिस द्वारा कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपसे अनुरोध है कि सोशल मीडिया का सदुपयोग करें और समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखने में सहयोग करें।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना अफजलगढ **दिनांक 13.06.2024**

थाना अफजलगढ पुलिस ने वांरटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांरटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.06.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा वांरटी अभियुक्त अतीक अहमद पुत्र अब्दुल वहीद निवासी मौ0 जैनुलआबेदीन कस्बा व थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अतीक अहमद पुत्र अब्दुल वहीद निवासी मौ0 जैनुलआबेदीन कस्बा व थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 प्रशिक्षु शिवा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 153 ब्रजमोहन थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा		दिनांक – 13.06.2024

थाना स्योहारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिपाहीवाला में घटित घटना के संबंध में।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 12/13.06.2024 की रात्रि करीब 02.00 बजे थाना स्योहारा क्षेत्र के ग्राम सिपाहीवाला में फुरकान अहमद पुत्र मुन्ने हाजी के घर में 02 व्यक्ति खिडकी तोडकर घर के अंदर घुसे और घर से सामान चोरी कर ले जाने लगे। घर में ही सो रहे फुरकान के पुत्र मौ0 आमीर ने आवाज सुनकर दोनो व्यक्तियों का पीछा किया और आमीर ने दोनो को पकड लिया। इसी दौरान बदमाशों ने मोहम्मद आमिर को घायल कर दिया।

सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पंहुची और घायल आमीर उपरोक्त को सीएचसी स्योहारा में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल बिजनौर रेफर किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा डॉग स्कवायड व फॉरेसिंक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा सर्वसंबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। घायल आमीर उपरोक्त की स्थिति सामान्य है। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।